न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्या:– 11/दावा/2017

1. प्रकाश आयु 32 वर्ष आ0 श्री नन्दा जाति बैरवा निवासी नया बहादुरपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)
2. कस्तूरी आयु 50 वर्ष पुत्री स्व0 श्री नन्दा जाति बैरवा
3. बरजी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 श्री नन्दा जाति बैरवा
4. राजीबाई आयु 38 वर्ष पुत्री स्व0 श्री नन्दा जाति बैरवा निवासी नया बहादुरपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल आ0 श्री कालू आयु 52 वर्ष जाति बैरवा निवासी नया बहादुरपुरा
2. भंवरलाल आयु 32 वर्ष आ0 मोहनलाल जाति बैरवा
3. सुरेश आयु 29 वर्ष आ0 मोहनलाल जाति बैरवा निवासी नया बहादुरपुरा, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी।

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
प्रतिवादी – विजय माहेश्वरी

निर्णय दिनांक :– 10/03/2021

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1369/478 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 1370/480 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बीचडी पटवार क्षेत्र चेंता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जमाबंन्दी सम्वत 2071 से 2074 की खतोनी संख्या 59 में वादीगण के पिता नन्दा आ0 गोधू बैरवा के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादीगण के पिता नन्दा आ0 गोधू का देहान्त हो चुका है और वादीगण उनके विधिक वारिस है। वादी के पिता ताजिन्दगी उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे है और उनके देहान्त के बाद से वादीगण उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक चले आ रहे है। वादी संख्या 2 लगायत 4 वर्तमान में अपने ससुराल रहती है और उनकी तरफ से भी उक्त भूमि पर वादी संख्या 1 भी काश्त

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

रता है वादी प्रकाश परिवार में अकेला पुरूष व्यक्ति है। वादी के अकेला होने का अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है व वादी को बेदखल करने की चेष्टा करता है। इसी आशय से प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.01.2017 को वादी के भूमि पर जबरन नीवें खोदकर पक्का निर्माण चालू कर दिया वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तेरी जमीन पर जबरन निर्माण करूंगा और आडे फिरेगा तो जान से मारूंगा। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन निर्माण कर कृषि भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट करना चाहते है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। खातेदार भी काश्तकारी अधि0 के प्रावधानों के मुताबिक बिना अनुमति के कनवर्शन कराये बिना कृषि भूमि पर कोई निर्माण कार्य करा नही सकता है जबकि प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व की भूमि पर जबरन निर्माण कर कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट कर रहा है और मना करने के बावजूद मौके पर तनाजा कर खून खराबा करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में वादी के समक्ष एकमात्र विकल्प स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना ही रह गया है। प्रतिवादी वादी द्वारा लगाये गये सफेदे के पेडों को भी काटने पर आमादा है व वादी की कृषि भूमि पर पक्का मकान निर्माण कर वादी को उक्त भूमि पर से बेदखल करना चाहता है जिसका उसे कोई हक व अधिकार नही है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के किसी भी भू–भाग पर निर्माण नही करने, कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट नही करने, वादी के सफेदे के हरे पेडो को नही काटने व वादी की कृषि भूमि पर चरखी वगेरा नही गाडने व वादी को भूमि पर से बेदखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे एवं यदि दौराने वाद जबरन पक्का निर्माण कर ले व वादी की भूमि पर जबरन चरखी गाड दे व वादी को बेदखल कर दे तो इसी वाद में अतिक्रमण हटवाकर, निर्माण हटवाकर वादी को वापस भूमि खाली करवाकर वादी को संभलाई जावें। राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 40 के अनुसार यदि खातेदार की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के उपरान्त स्वतः ही उसके वारिसान खातेदार बन जाते है व उनके वारिसान में खातेदारी अधिकार निहित हो जाते है। उक्त प्रकरण में वादी के पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण उक्त भूमि के खातेदार कृषक बन गये है। नामान्तरण की प्रकिया पिसकल करवाई है नामान्तरण से हक निहित नही होते है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त वाद अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे – कृषि भूमि खसरा संख्या 1369/478 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 1370/480 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बीचडी पटवार क्षेत्र चेता तहसील हिण्डोली के किसी भी भू–भाग पर निर्माण नही करने, कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट नही करने, वादी के सफेदे के हरे पेडो को नही काटने व वादी की कृषि भूमि पर चरखी वगेरा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

की गाडने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य कर ले व चरखी गाड दे व वादी को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल कर दे तो इसी वाद में किये गये अतिक्रमण को हटवाकर इनको वादी को वापस कब्जा संभलाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादीगण को प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का प्रस्तुत वाद का निम्नानुसार जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमिया ग्राम बीचडी में विस्थित होना एवं जमाबंदी में वादीगण के पिता नन्दा के खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है किन्तु राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में उक्त दोनों भूमियों का बटा नम्बर तरमीम नही हो रहा है। वादीगण के पिता को खसरा संख्या 480 मूल रकबा में से कुल 4 बीघा भूमि ही आंवटित हुई है जबकि उक्त खसरा संख्या 480 का कुल रकबा 10 बीघा है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वादीगण के पिता का देहान्त हो जाना स्वीकार है किन्तु वादीगण ने खसरा संख्या 480 में आंवटित भूमि 4 बीघा से भी अधिक करीब 6 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है। वादीगण का कब्जा खसरा संख्या 480 में खसरा संख्या 481, 485 व 479 से लगी हुई भूमि पर है। खसरा संख्या 480 की शेष भूमि जो कि खसरा संख्या 438 नहर से सटी हुई है, पर प्रतिवादीगण का करीब 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के कब्जे की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के मकान व जानवर बांधने के बाडे बने हुऐ है। वादपत्र की चरण संख्या 3 मनगडन्त बनावटी एवं मिथ्या है। कृषि भूमि खसरा संख्या 480 में से वादीगण के पिता को मात्र 4 बीघा भूमि आंवटित है बावजूद इसके वादीगण ने खसरा संख्या 480 में आंवटित भूमि से अधिक करीब 6 बीघा भूमि पर कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण का उक्त खसरा संख्या 480 में नहर से लगी हुई करीब 4 बीघा राजकीय भूमि पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के उक्त कब्जे की भूमि पर प्रतिवादीगण के मकान व बाडे बने हुये है। वादीगण खसरा संख्या 480 की सम्पूर्ण भूमि पर पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका वादीगण को कोई अधिकार नही है। वादीगण के पिता को आंवटित भूमि 4 बीघा का नक्शा ट्रेस में अंकन नही होने का लाभ उठाकर वह खसरा संख्या 480 की सम्पूर्ण 10 बीघा भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे स्वामित्व की खसरा संख्या 480 की भूमि पर कोई कब्जा नही कर रहे है बल्कि वादीगण उक्त 4 बीघा खाते की भूमि की आड में प्रतिवादीगण को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल कर सम्पूर्ण खसरा संख्या 480 की 10 बीघा भूमि पर अपना कब्जा करना चाहते है। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ झूंठे तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया है। वादपत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे स्वामित्व की भूमि पर किसी प्रकार का कोई दखल नही कर रहे है। विवादित भूमि खसरा संख्या 480 के शेष भाग जो कि राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित है पर पिछले

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

40 वर्षो से प्रतिवादीगण ने अपने रहने के लिए मकान व बाडा बनाया हुआ है एवं उक्त प्रकार से प्रतिवादीगण भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण को प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि में किसी प्रकार का दखल करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण इस वाद की आड में प्रतिवादीगण के कब्जे की राजकीय भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका वादीगण को कोई अधिकार नही है। वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार नही हैं। विशेष उत्तर पूर्व के चरणों में दिया जा चुका है। प्रतिवादीगण के वर्षो पुराने कब्जे को हटाने का वादीगण को कोई अधिकार नही है। वादीगण इस वाद की आड में प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। वाद पत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार नही है। वादीगण अपने पिता को आंवटित भूमि की आड में खसरा संख्या 480 की सम्पूर्ण 10 बीघा भूमि पर कब्जा करना चाहते है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 स्वीकार नही है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। इस कारण वादीगण को यह वाद पेश करने का कोई अधिकार नही है। वाद पत्र की चरण संख्या 8 कानूनी है।

प्रार्थना वादीगण स्वीकार नही है। वादीगण ने यह वाद खसरा संख्या 480 की सम्पूर्ण 10 बीघा भूमि पर अपना कब्जा करने की नियत से पेश किया है। खसरा संख्या 480 की वादीगण के कब्जे की भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नही कर रहे है न ही खसरा संख्या 1369/478 की किसी भूमि पर कब्जा कर रहे है। इस कारण वादीगण का यह वाद खारीज होने योग्य है। वादीगण को प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करने अथवा कराने का कोई अधिकार नही है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

भार वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं इनके विरूद्व वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है।

भार प्रतिवादी

3. आया कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने से वाद खारिज योग्य है।

भार प्रतिवादी

वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 खाता नम्बर 59 ग्राम बीचडी, वादीगण का शपथ पत्र पेश किये है अन्य कोई साक्ष्य पेश नही किये। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 खाता संख्या 1 ग्राम बीचडी खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत 2054, सम्वत 2067, सम्वत 2071 व नक्शा ट्रेस ग्राम बीचडी खसरा संख्या 480 पेश किये है।

उपखण्ड अधिकारी
लिण्डोली (बून्दी)

हमने प्रकरण पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण को यह भूमि नन्दा जी से प्राप्त हुई है। नन्दा जी ताउम्र काबिज काश्त रहे है। प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 1317/480 पर निर्माण कार्य चालू कर दिया है, भूमि से पेड काट दिये है एवं मेरी भूमि पर निर्माण चालू कर दिया है, मैं खातेदार हूँ, भूमि मेरे कब्जे में है, प्रतिवादीगण को इससे कोई लेना–देना नही है। मेरा दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे हमारे खातेदारी की भूमि पर निर्माण नही करें।

वकील वादीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि हम वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा नही कर रहे है वरन् हम तो खसरा संख्या 480 जिसमें कि भूमि सिवायचक शेष है, पर काबिज काश्त है। यह अपने खातेदारी भूमि की आड पर हमारे कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिनका इन्हे कोई हक व अधिकार नही है। हमने इनके खातेदारी भूमि पर कोई अतिचार किया है इस बाबत कोई साक्ष्य सबूत इन्होने पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया है, मिथ्या तथ्यों के आधार पर दावा लाये है। समर्थन में कोई प्रमाणिक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये है। दावा खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रकरण पर वकील पक्षकारान की बहस को समाहत किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन कर वाद में निम्नानुसार तनकीवार विवेचन किया गया–

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने बताया कि भूमि खसरा संख्या 1369/478 रकबा 1.13 बीघा व खसरा संख्या 1370/480 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5.13 बीघा ग्राम बीछोडी तहसील हिण्डोली वादीगण के पिता नन्दा आ0 गोधू बैरवा के नाम दर्ज है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2071–2074 से प्रमाणित है। विवादित भूमि का वादीगण पैतृक सम्पति के आधार पर खातेदार काश्तकार है जिसके आधार पर वे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं इनके विरूद्व वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है।

तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस बाबत वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण को भूमि खसरा संख्या 480 में 4 बीघा भूमि वादीगण के पिता को आंवटित हुई थी जिसके नये नम्बर 1370/480 है जिसकी तरमीम रिकोर्ड में नही होने से यह खसरा संख्या 480 की शेष राजकीय सिवायचक भूमि पर कब्जा करना चाहते है। उक्त खसरा संख्या 480 का रकबा 10 बीघा है जिसकी शेष भूमि लगभग 4 बीघा पर

प्रतिवादीगण का 50 से भी अधिक वर्षो से कब्जा काश्त है। उक्त खातेदारी भूमि की आड में वादीगण प्रतिवादीगण को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल करना चाहते है जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है जो कि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 खाता संख्या 1 ग्राम बीचडी खसरा परिवर्तन निर्धारण सम्वत 2054, सम्वत 2067, सम्वत 2071 व नक्शा ट्रेस ग्राम बीचडी खसरा संख्या 480 से प्रमाणित है। उक्त तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने से वाद खारिज योग्य है।

तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस बाबत वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है जिसके की प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि पर अतिचार/दखलन्दाजी कर रहे हो। साक्ष्यों के अभाव में उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादीगण अपना वाद संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली